

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,  
समस्त प्रमुख सचिव/  
सचिव/प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय: समस्त प्रशासनिक विभागों में अस्थाई रूप से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कय-विकय की गयी चल-अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रायः यह पाया गया है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने व अपनी पत्नी के नाम पर कय-विकय की सूचना विभाग को नहीं दी जा रही है तथा विभागीय अनुमति भी प्राप्त नहीं की जा रही है, जबकि पी0सी0एक्ट के अन्तर्गत ऐसे दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को लोक सेवक की परिधि में माना गया है। ऐसे में डी0ए0 (Disproportionate Assets) सम्बन्धी प्रकरणों में भी अस्थाई कर्मचारियों द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति का विवरण सम्बन्धित विभाग को दिया जाना आवश्यक है।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने-अपने नियंत्रणाधीन समस्त प्रशासनिक विभागों में अस्थाई रूप से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कय-विकय की गयी चल-अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 79 /XXX-5/21-38(10)2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड देहरादून।

(आलोक कुमार सिंह)  
उप सचिव।